



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या :- (0755) 2551166 (PBX No.111)

क्रमांक/गोपनीय/1104/2016

भोपाल, दिनांक 27/07/2016

प्रति,

1. प्राचार्य

समस्त शास. जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थायें,
मध्यप्रदेश।

2. समस्त अशासकीय मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त डी.एड. प्रशिक्षण संस्थायें मध्यप्रदेश।

विषय:- वर्ष 2015-16 डी.एल.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा विषयक।

डी.एल.एड. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष 2016 के समस्त शास./अशा. मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त डी.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सैद्धांतिक/व्यावहारिक परीक्षाओं के आन्तरिक मूल्यांकन एवं अध्यापन अभ्यास/विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने की निम्नानुसार तिथियां घोषित की जाती हैं :-

क्र.	परीक्षा एवं विषय	अंक प्रदाय करने हेतु अधिकृत माध्यम	ऑनलाइन अंक मण्डल को प्रेषण की तिथियां
1	(अ) सैद्धांतिक का आंतरिक मूल्यांकन (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/सुविधा केन्द्र/महाविद्यालय	11/08/2016 से 22/08/2016
	(ब) व्यावहारिक का आंतरिक मूल्यांकन (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष)	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/सुविधा केन्द्र/महाविद्यालय	11/08/2016 से 22/08/2016
	(स) इंटर्नशिप का आंतरिक मूल्यांकन प्रथम वर्ष शिक्षण अभ्यास, हिन्दी एवं गणित। द्वितीय वर्ष अंग्रेजी/तृतीय भाषा सामाजिक विज्ञान/विज्ञान एवं पर्यावरण।	शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/सुविधा केन्द्र/महाविद्यालय	11/08/2016 से 22/08/2016
2	डी.एल.एड. प्रथम वर्ष, शिक्षण अभ्यास का बाह्य मूल्यांकन, अनिवार्य वैकल्पिक विषय (हिन्दी एवं गणित) डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष शिक्षण अभ्यास का बाह्य मूल्यांकन, (i). अंग्रेजी भाषा का शिक्षण/तृतीय भाषा (ii). विज्ञान शिक्षण/सामाजिक विज्ञान शिक्षण/पर्यावरण अध्ययन	11/08/2015 से 22/08/2016 मण्डल द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों द्वारा।	22/08/2016
3	द्वितीय वर्ष प्रायोगिक परीक्षा विज्ञान का बाह्य मूल्यांकन	11/08/2016 से 22/08/2016 मण्डल द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों द्वारा	22/08/2016

उपरोक्त समयसारिणी के आधार पर परीक्षायें सम्पन्न कराते हुये अंकों के प्रेषण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-


1) सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक का आन्तरिक मूल्यांकन छात्र की अध्ययनरत संस्था में सम्पन्न कराई जाना है।

2) अध्यापन अभ्यास एवं विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा बाह्य परीक्षकों के माध्यम से सम्पन्न की जावेगी। बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा शास. शिक्षा महाविद्यालयों/शास.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं/शास. शालाओं में कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याता जो एम.एड./बी.एड. प्रशिक्षित है जिनका ऑनलाइन पंजीयन कराया गया है इन्ही ऑनलाइन पंजीकृत सूचियों में से मण्डल द्वारा किये गये रेण्डमिजेशन के अनुसार बाह्य परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति संचालित डी.एड. संस्थाओं के लिए संभाग के अंदर निकटवर्ती जिलों से की जावेगी।

निरंतर.....2

(3) इस वर्ष आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन के अंक ऑनलाइन प्रेषित किए जाने हैं। अंक प्रेषण हेतु आपको उपलब्ध कराए गए लॉगिन एवं पासवर्ड का उपयोग करें। इस लॉगिन एवं पासवर्ड से लॉगिन करने पर अंक प्रेषण हेतु उपलब्ध प्रारूप में अनुक्रमांकवार अंको की प्रविष्टि की जाए। अंको की प्रविष्टि उपरांत चेकलिस्ट प्रारूप में अंको का प्रिंटआउट प्राप्त करें। इस चेकलिस्ट का भलीभांति परीक्षण उपरांत अंको को लाक करें। ध्यान रहे अंतिम रूप से लाक करने के पश्चात अंको में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा ना ही इस संबंध में कोई परिवर्तन/त्रुटि संबंधी आवेदन मण्डल द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

संपूर्ण प्रविष्टि उपरांत अंको का प्रिंट आउट प्राप्त करें। इस प्रिंट आउट पर आंतरिक/बाह्य परीक्षक (जो लागू हो) एवं संस्था प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा लगाकर शील्ड लिफाफे में मण्डल के गोपनीय कक्ष में दिनांक 26/08/2016 तक जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।




परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
* मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27/7 /2016

पृष्ठांकन क्रमांक/1105/गोपनीय/2016
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
2. निज सचिव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. संचालक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित हैं।
5. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लिखा जाता है कि शासकीय शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याताओं को डाईट संस्थाओं में बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्ति के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
7. अपर संचालक वित्त/वित्ताधिकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डी.एड. की बाह्य परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों के पारिश्रमिक हेतु निर्धारित 5/-प्रतिछात्र की दर से पारिश्रमिक की राशि की गणना कर वास्तविक राशि संस्थाओं को परीक्षा प्रारंभ के पूर्व जारी की जाना सुनिश्चित की जावे।
8. आंचलिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि शासकीय शालाओं के प्राचार्य/व्याख्याताओं को डाईट संस्थाओं में बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्ति के आधार पर परीक्षा संपन्न कराने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।
10. सी.एस.ओ., माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वित्त कक्ष को संस्थावार छात्र संख्या की सूची उपलब्ध करवाये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मुख्यालय से नियुक्त बाह्य परीक्षकों के टी.ए./डी.ए.का भुगतान पात्रतानुसार अपने कार्यालय से करना सुनिश्चित करें।
12. पंजीयक परीक्षा/सहायक सचिव, समस्त परीक्षा संभाग मा.शि.म. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पत्र की प्रति समस्त डी.एड.संबद्धता प्राप्त संस्थाओं को भिजवाए जाने हेतु।
13. जनसंपर्क अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र.भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. संचालक एम.पी.ऑनलाइन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।



परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल